

दैनिक आधार पर फुटकर दुकानों के संचालन हेतु महत्वपूर्ण आबकारी सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि चतुर्थ चरण की ई-लाटरी के पश्चात् जनपद की निम्न देशी शराब/बियर की दुकाने व्यवस्थापन होने से अवशेष रह गयी है। अवशेष अव्यवस्थित दुकाने 14 दिवस अथवा नियमित व्यवस्थापन (जो तिथि पहले हो) तक दैनिक एम0जी0क्यू0/लाइसेंस फीस के आधार पर ऑफर/टेण्डर मांग कर किया जाना है। दुकान के लिए प्राप्त सर्वोच्च ऑफर ही स्वीकार होगा। दो या दो से अधिक समान ऑफर प्राप्त होने पर उनका लाटरी के माध्यम से किया जायेगा। अधिक जानकारी कार्यालय जिला आबकारी अधिकारी/क्षेत्रीय आबकारी निरीक्षकों से प्राप्त की जा सकती है।

क्र0 सं0	दुकान का नाम व प्रास्थिति	मदिरा का प्रकार	वार्षिक एम0 जी0 क्यू0 ब0ली0 में/ला0फीस रू0 में वर्ष 2018-19)	दैनिक एम0जी0क्यू0 ब0ली0 में/ लाइसेंस फीस रू0में	क्र0 सं0	दुकान का नाम व प्रास्थिति	मदिरा का प्रकार	वार्षिक एम0 जी0 क्यू0 ब0ली0 में/ला0फीस रू0 में वर्ष 2018-19)	दैनिक एम0जी0क्यू0 ब0ली0 में/ लाइसेंस फीस रू0में
1	2	3	4	5	1	2	3	4	5
1	ऐड़ी	देशी शराब	49884	137	11	अमूंद मोड़	देशी शराब	6600	19
2	टेढ़ा	देशी शराब	28692	79	12	बण्डवा	देशी शराब	6600	19
3	मगरौठ मोड़ (राजमार्ग से 220 मी. दूर)	देशी शराब	26304	73	13	धगवां अतरौली	देशी शराब	6600	19
4	करियारी	देशी शराब	12336	34	14	न्यूरिया	देशी शराब	26688	74
5	सरगांव	देशी शराब	11448	32	15	वीरा	देशी शराब	22644	63
6	रावतपुरा	देशी शराब	9624	27	16	लोदीपुरा	देशी शराब	6600	19
7	छानीबांध	देशी शराब	8028	22	1	इटायल	बियर	100000	274
8	खरौज	देशी शराब	7932	22					
9	टिकरिया	देशी शराब	7236	20					
10	पतारा (हरेठा मोड़)	देशी शराब	22596	62					

जिला आबकारी अधिकारी,
हमीरपुर।

जिलाधिकारी,
हमीरपुर।

संख्या 112-116 /तददिनांक।

प्रतिलिपि- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. जिला सूचना अधिकारी, हमीरपुर।
2. निदेशक एन0आई0सी0 हमीरपुर को इस अनुरोध से कि ई-डिस्ट्रिक्ट पोर्टल पर उक्त सूचना अपलोड कराने का कष्ट करें।
3. सम्पादक दैनिक समाचार पत्र हिन्दुस्तान व आज समाचार पत्र में न्यूनतम स्पेस एवं सरकारी दर से प्रकाशित कर बिल भुगतान हेतु जिला सूचना अधिकारी, हमीरपुर से सत्यापित कराकर इस कार्यालय को दो प्रतितियों में प्रेषित करने का कष्ट करें।
4. दैनिक रेडिकल्स रू0 1000/- रू0 में प्रकाशित कर बिल भुगतान हेतु कार्यालय में प्रेषित करने का कष्ट करें।
5. समस्त आबकारी निरीक्षक अपराध निरोधक क्षेत्र, जनपद हमीरपुर को इस निर्देश से कि उक्त विज्ञापित को कलेक्ट्रेट एवं समस्त तहसील मुख्यालय के नोटिस बोर्ड पर चस्पा कराकर उसका व्यापक प्रचार-प्रसार कर अपने क्षेत्रों के अन्तर्गत आने वाली समस्त अवशेष दुकानों का दैनिक आधार पर संचालित कराना सुनिश्चित करें।

जिला आबकारी अधिकारी,
हमीरपुर